दूरभाष : 23232701, 23237721, 23234116
फैक्स : 23232317, 23236735, 23239437

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Bahadur shah Zafar Marg
New Delhi-110002

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

मिसिल संख्या : 14-7/2014 (राजभाषा) फरवरी, 2014

SPEED-POST

सेवा में,

कुलसचिव,
राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, पी.ओ. दोईमूख
पिन-791 112 (अरुणाचल प्रदेश)

14 FEB 2014

विषयः केन्द्रीय/राज्य/मानित तथा हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना/अपग्रेडेशन करने हेतु अनुमोदन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपका प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति की अनुशंसा के आधार पर आयोग ने आपके विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना/अपग्रेडेशन हेतु निम्न विवरण अनुसार स्वीकृति प्रदान की है :

क्र. सं.	प्रयोजन, जिसके लिए अनुदान अनुमोदित किया गया है।	स्वीकृत पद/मद	स्वीकृत अनुदान
01	हिन्दी विभाग खोलने/ अपग्रेडेशन करने हेतु	1. प्रोफेसर -1	वास्तविक वेतन, वि.वि. अनुदान आयोग के नियमानुसार
		2. रीडर -	
		3. प्रवक्ता -2	
		4. पुस्तकें एवं पत्र/पत्रिकाएं	₹ 1,00,000/- रुपये
		5. संगोष्ठियाँ, सम्मेलन एवं सम्बद्ध व्यय	₹ 1,00,000/- रुपये

उपरोक्त सहायता इस अनुमोदन पत्र के जारी करने की तिथि से 31.03.2017 की अवधि तक मान्य होगी। उपर्युक्त अनुदान के लिये नियम व शर्तें वही हैं जिन्हें 12वीं योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के विकास कार्यक्रमों को अनुदान दिए जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण के लिए स्वीकृत पदों के संदर्भ में आयोग को आश्वासन / एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त अनुमोदित पदों को राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा जारी रखा जाएगा। यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अनुमोदित पदों के लिए आयोग द्वारा देय अनुदान जारी किया जाएगा।

विश्वविद्यालय, संघ सरकार की राजभाषा नीति अर्थात् राजभाषा अधिनियम 1963, जो कि नियम 1976 के संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए है, का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय अ0जा0/अ0ज0जा0 के छात्रों व प्राध्यापकों से संबंधित भारत सरकार की नीतियों को पूर्ण रूप से लागू करेगा। गैर-अध्यापन कर्मचारियों के संबंध में विश्वविद्यालय यथास्थिति अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार की नीतियों का अनुपालन करेगा।

यदि पदों पर नियुक्ति इस योजना की समाप्ति से पहले नहीं की जाती है तो अनुमोदित पदों को निरस्त मान लिया जाएगा।

स्वीकृत शैक्षिक पदों की भर्ती/नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार की जाए और निम्नलिखित दस्तावेज आयोग को प्रेषित किए जाएं:

1. विज्ञापन की प्रतिलिपि
2. चयन समिति की अनुशंसा
3. चयनित उम्मीदवार का जीवनवृत्त/बायो-डाटा
4. कार्यग्रहण सूचना
5. मूलवेतन/भत्ते सम्बन्धी

अनुदान राशि जारी करने हेतु विश्वविद्यालय बैंक से सम्बन्धित निम्न विवरण शीघ्रातिशीघ्र rajbhasha.ugc@gmaill.com पर उपलब्ध कराएः

(क)	बैंक का नाम एवं शाखा का पता
(ख)	खाता संख्या
(ग)	खाते का स्वरूप-बचत/चालू/नकद साख
(घ)	आई.एफ.एस.सी. शाखा का कोड
(ड.)	एम.आई.सी.आर शाखा का कोड
(च)	क्या बैंक शाखा RTGS/NEFT सहायता प्राप्त है, RTGS/NEFT अथवा दोनों
(छ)	खाताधारी का नाम व पता

विश्वविद्यालय, पत्र में दी गई शर्तों की मंजूरी के संदर्भ में कृपया अपनी स्वीकृति शीघ्र ही प्रेषित करे, जिसके आधार पर आयोग द्वारा अनुदान की देय राशि यथास्थिति निर्गत की जाएगी।

भवदीया,

सरिता

(सरिता मखीजा)
अवर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :

1. केन्द्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालय अनुभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
2. सुरक्षित मिसिल

सरिता

(सरिता मखीजा)
अवर सचिव